राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः– :– F1(1)Raj-MES/Estt./Faculty/Recruitment/2019/ 448 दिनांक 14.2.2020

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक F1(1)Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2019/1744 दिनांक 07.08.2019 के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉएमेन्ट रूल्स, 2017 के नियम 20(3) के तहत तैयार की गई आरक्षित सूची में से निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के समक्ष अंकित रिक्त पद पर चिकित्सा महाविद्यालय में, समेकित वेतन पर नीचे अंकित शर्तो पर एतदद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

S. No.	Department	Post	Form No.	Name of Candidate	Date of Birth	Place of Posting
1.	Community Medicine (P.S.M.)	Associate Professor	201907984253	MAHENDRA KHATRI	27-07-1979	Barmer
2.	Community Medicine (P.S.M.)	Assistant Professor	201907984251	Poornima Sharma	18-07-1989	Churu
3.	Community Medicine (P.S.M.)	Assistant Professor	201907983887	SUNITA DHAKED	30-10-1990	Dungarpur
4.	Community Medicine (P.S.M.)	Assistant Professor	201907996261	DR KAPIL GARG	12-05-1986	Bhilwara
5.	Psychiatry	Assistant Professor	201907994972	RAKESH KUMAR	05-07-1982	Sikar
6.	General Surgery	Assistant Professor	201907982860	DILEEP KUMAR CHOUDHARY	04-10-1984	Bhilwara
7.	General Surgery	Assistant Professor	201907994992	ROHIT YADAV	22-03-1988	Sikar

नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार होगी :–

1. उपरोक्त चयनित अभ्यार्थीयों पर राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसाइटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉएमेन्ट रूल्स, 2017 (as and when ammended)लागू होंगे।
2. उपरोक्त नियुक्ति सह आचार्य तथा एमबीबीएस डिग्रीधारी सहायक आचार्य के पद पर एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर होगी एवं अन्य अभ्यर्थी के लिए दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा।
3. परिवीक्षा काल में किसी प्रकार की वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।

कृ.प.उ.

4. परिवीक्षा काल के दौरान अभ्यर्थी की सेवाऐं असंतोषजनक पाए जाने पर बिना कोई नोटिस दिए सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी।
5. उपरोक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने पर 10 दिवस में अपनी उपस्थिति संबंधित प्रधानाचार्य के यहां प्रस्तुत करनी होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया का आगामी दिवसो में निरीक्षण संभावित है। अतः कार्यग्रहण काल में किसी भी प्रकार की वृद्धि नही की जाएगी। 10 दिवस में कार्यग्रहण नही करने पर यह नियुक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी।
6. उपरोक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से एक माह के अन्दर अपने पूर्वाचरण के सम्बन्ध में अपने अंतिम शैक्षणिक विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र साथ ही दो प्रतिष्ठित नागरिकों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही अभ्यर्थी का मेडिकल परीक्षण संबंधित मेडिकल कॉलेज जहां कि उसका पदस्थापन किया गया है, के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से करा कर एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी के द्वारा यदि एक माह में उपरोक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते है अथवा मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जाता है अथवा उसका चरित्र अथवा मेडिकल परीक्षण नियोजन के उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवाऐं बिना कोई नोटिस दिए समाप्त किए जाने के योग्य होंगी।
8. अभ्यर्थी कार्यग्रहण के समय इस आशय का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी भी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के द्वारा सोसायटी में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया गया है।
9. वेतन, अवकाश, सामान्य बीमा, पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सोसायटी के नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी के सभी शैक्षणिक/कार्यानुभव/एकेडमिक/पब्लिकेशन/जन्मतिथि/आरक्षण जाति आदि के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन मूल प्रमाण–पत्रों से संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा ड्यूटी ज्वाईन करते समय किया जावेगा।
11. कार्यग्रहण स्थल पर जाने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

निदेशक
राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांकः– F1(1)Raj-MES/Estt./Faculty/Recruitment/2019/ 448 **दिनांक :** 14.2.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. उप निदेशक (प्रशासन), राजमेस, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/चूरू/बाड़मेर/डूंगरपुर/सीकर।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थी ________________ को रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल से।
6. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

14.2.2020

निदेशक
राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी
जयपुर